राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 2(5)न्याय / 2012 जयपुर, दिनांक 10 JUL 2017

:: अधिसूचना ::

इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक प.2(5)न्याय / 2012 दिनांक 08.12.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए क्रम संख्या 17 व 18 की प्रविष्ठी को विलोपित कर, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (सन् 2012 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 32) की धारा 28 तथा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स एक्ट, 2005 (सन् 2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियमों के अधीन दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय, जयपुर सृजित एवं स्थापित करती है, जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्व जिला जयपुर होगा।

राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर / जिला एवं सैशन न्यायाधीश / पुलिस अधीक्षक, जयपुर महानगर / जयपुर जिला।
8. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. महानिदेशक आरक्षी / जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

10.07.17

(डॉ0 कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव